

13.03.2024. पत्रावली पेश हुई।

आयिबस्ता प्रार्थी अस्थित। आयिबस्ता

प्रार्थी ने अपने प्रार्थी पत्र को जरिअे
नोटिसेस में खारिज करने का निवेदन
किया।

अतः आयिबस्ता प्रार्थी के निवेदन पर
प्रार्थी पत्र अन्तर्गत बारा 212 राजस्थान
कायदाकारी अधिनियम की इसी स्तर पर
जरिअे नोटिसेस खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैनल शुभ्रा लेक नम्बर 1
कम के जाकर दाखिल दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(कानून) सांचौर